हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone - 0788-2359400

क्र./304/ अका./शोध/2019 दुर्ग, दिनांक 06/07/2019

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक–45 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा मान्य शोध केन्द्रों में अध्ययनरत समस्त शोधार्थियों को प्रत्येक छह माह में एक बार शोध सलाहकार समिति (DRC) के समक्ष उपस्थिति होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने शोध कार्य की प्रगति के संबंध में संबंधित शोध केन्द्र में एक प्रस्तुति (PPT-Presentation) देना होगा। यह भी की समस्त शोध केन्दों के शोध सलाहकार समिति (DRC) को यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि समिति द्वारा छह माही प्रगति रिपोर्ट (Ph.D-Six Monthly Progress Report) शोधार्थी के छह माह (विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित छमाही अवधी अनुसार) पूरे होने के एक सप्ताह के भीतर आयोजित करना अनिवार्य होगा एवं प्रस्तुतिकरण के अगले दिवस प्रस्तुतिकरण रिपोर्ट को विश्वविद्यालय अकादमिक विभाग (पी–एच.डी सेल) में जमा किया जाना तथा इसकी एक प्रति शोधार्थी को अनिवार्य रूप से प्रदाय करना सुनिश्चित करेंगे ।

उपरोक्तानुसार यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, शोध सलाहकार समिति (DRC) इसके स्पष्ट कारण दर्ज करेगी तथा उपचारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक उपायों को कार्यन्वित करने में असफल बना रहता है तो शोध सलाहकार समिति शोधार्थी के पी–एच.डी. पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट कारण दर्ज कर विश्वविद्यालय को इसकी सूचना देना सुनिश्चित करेगा ।

पी–एच.डी. से संबंधित अध्यादेश–45/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना और समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों/नियमों/निर्देशों/सूचनाओं का पालन न करने की स्थिति में संबंधित शोध केन्द्र/शोधार्थी/शोध निर्देशक पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क.305/अका./शोध/2019 दुर्ग, दिनांक 06/07/2019

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्र, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ की वे समस्त शोधार्थियों को अनिवार्य रूप से उक्त पत्र से अवगत कराये एवं संबंधित शोध केन्द्र नोटिस बोर्ड में अनिवार्य रूप से लगावे।
2. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. वि.वि. वेबसाईट प्रभारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने सूचनार्थ ।

सहायक कुलसचिव (अका.)
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)